तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23-2-18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर आदेश सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया पत्रावली फैसल होकर संलग्न मुलाहिजा रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र सं. 6/प्रा.पत्र/17 दिनांक: 23.02.18

दायरा दिनांक:- 1.02.17

उनवान

1. लक्ष्मण लाल आयु 57 वर्ष आ० रामनारायण जाति माली
2. हीरालाल आयु 45 वर्ष आ० रामनारायण जाति माली
3. मुकेश आयु 40 वर्ष आ० रामनारायण जाति माली
4. महेन्द्र आयु 35 वर्ष आ० रामनारायण जाति माली

– निवासीगण मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला, बून्दी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधि.

निर्णय

दिनांक - 23.02.18

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है– कृषि भूमि खसरा सं. 619/496 रकबा 4 बीघा ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2031-2034 मे रामनारायण आ० फून्दीलाल जाति माली की गैर खातेदारी मे दर्ज है। बन्दोबस्त 2041-2060 मे खसरा सं. 496

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः...

Scanned by CamScanner

के नये खसरा सं. 1365 कायम किये गये। खसरा सं. 496 रकबा 4 बीघा के 0.35 है. रामनारायण के खाते दर्ज किया गया व शेष रकबा 0.29 है बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक पुराने खसरा सं. 496 मे मिलाकर नया खसरा नं. 1364 रकबा 0.75 है. कायम कर दिया गया। रामनारायण अपने जीवनकाल मे 496 खसरा सं. के 4 बीघा पर काबिज काश्त रहा व बन्दोबस्त 2041-2060 के पश्चात भी 4 बीघा पर काबिज काश्त रहा। उसकी मृत्यु के बाद बतौर वारिसान प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार है कि खसरा सं. 1364 रकबा 0.75 है. में से 0.29 है. पर खातेदार कृषक घोषित करावे व इन्द्राज दुरस्ती करावे। दौराने वाद अप्रार्थी को पाबन्द नही किया गया तो खसरा सं. 1364 रकबा 0.75 है में से 0.29 है. पर बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उक्त खसरा सं. 1364 रकबा 0.75 मे से 0.29 है. पर अप्रार्थी को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नियत पेशी पर उपस्थित। समुचित अवसर के बाद भी जवाब पेश नही किया गया जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। नाला सं. 177 की प्रतिलिपि की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाकर कथन किया कि 496 नं. खसरा की 4 बीघा भूमि रामनारायण आ० फन्दीलाल के गैर खातेदारी से दर्ज हुयी। लेकिन बन्दोबस्त सम्वत् 2041-2060 के दौरान नये खसरा सं. 1365 को जो कि 0.35 है रामनारायण गैर खातेदार दर्ज किया व बाकि रकबा ख. सं. 1364 में मिला दिया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण के रकबा बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा रकबा कम कर दिया गया। अपनी प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल खसरा बन्दोबस्त पुराना नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028-2031 नकल जमाबंदी सम्वत् 2031-2034 खाता सं. 217, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 खाता सं. 496 खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल मिसल बन्दोबस्त 2041-2060 खाता सं. 175, खाता सं. 103, खाता सं. 209, खाता सं. 82 पेश किये, कि ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वर्तमान में खसरा सं. 1364 पर हमारा कब्जा काश्त है। इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 पेश किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व में धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत उक्त इन्द्राज दुरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुत करने बाबत निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः

किया गया था। वर्तमान कायम खसरा सं. 1361, 1362, 1363, 1364 का कुल रकबा बन्दोबस्त से पूर्व के खसरा सं. के रकबा से अधिक है। सरकार द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया गया। अतः उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजो के आधार पर हमारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनो आधारो पर प्रमाणित है। अतः खसरा सं. 1364 रकबा 0.75 के 0.29 हे. पर अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबंद फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना पत्रावली के दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है–

1) प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नामा. सं. 127 से रामनारायण को 4 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज की गयी। वर्तमान खसरा सं. 1365 रकबा 0.35 हे. रामनारायण के वारिसान के नाम दर्ज है यह रकबा 4 बीघा से कम है। पेश मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041-2060 के अनुसार 496 नं. से नये नं. 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 कायम हुए है। ख. सं. 1361, 1362 व 1363 मिसल बन्दोबस्त 2041-2060 में मोतीलाल पि. बालाजी का नाम दर्ज है। ख. सं. 1364 सिवायचक दर्ज है। सम्वत् 2072 के खरीफ P-14 में खसरा सं. 1364

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः..

है रकबा 0.75 में से .30 हैं पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रसल में बगीचा अमरूद दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय का विवेचन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम द्रष्टया मामला सिद्ध है।

सुविधा के संतुलन व अपूर्णीय क्षति - प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः चूंकि वर्तमान में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा साबित हुआ है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः उक्तानुसार विवेचन के पश्चात प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा सं. 1364 रकबा 0.75 में से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की 0.29 है. पर ताफैसला वाद मौके व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखी जावे व बेदखली की कोई कार्यवाही न कि जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner